बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

3525
05.12.14

संकल्प

श्री मनोज मानकर, तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक, बिहार, पटना वर्त्तमान सहायक निदेशक, प्रशिक्षण, शिक्षु, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध निगरानी अन्वेषण ब्यूरों से प्राप्त पत्र तथा उसके साथ संलग्न निगरानी थाना काण्ड संख्या– 077/2009 दिनांक– 28.07.2009 धारा– 7/8/13 (2) सह पठित धारा– 13 (1) (डी) (सी) (ई) भ्र0 नि0 अधि0, 1988 से संबंधित प्राथमिकी काण्ड संख्या– 077/2009 में न्यायिक हिरासत में लिये जाने के कारण विभागीय अधिसूचना संख्या– 240 दिनांक– 31.07.2009 के द्वारा श्री मानकर को निलंबित किया गया तथा अधिसूचना सं0–1988 दिनांक–21.06.2010 के द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया तथा आरोप प्रपत्र "क" गठित किया गया । आरोप मुख्यतः निम्न प्रकार है :–

(1) आय से अधिक सम्पत्ति का अर्जन एवं वार्षिक सम्पत्ति ब्योरा में वास्तविक सम्पत्ति नहीं प्रदर्शित करना ।

(2) हवेली खड़गपुर, जिला– मुंगेर स्थित एस0 एम0 आर0 आई0 टी0 सी0 (निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र) में इनकी पत्नी श्वेता मानकर ट्रस्टी हैं, जिसके लिए न तो उन्होंने सरकार से कोई अनुमति प्राप्त की है और ना ही इस संबंध में सरकार को कोई सूचना दी है ।

वर्णित आरोपों के सन्दर्भ में विभागीय संकल्प संख्या– 332 दिनांक– 29.01.2010 के द्वारा श्री मनोज मानकर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री गरीब साहु, तत्कालीन अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री साहु की सेवा निवृति के पश्चात् विभागीय संकल्प संख्या– 2591 दिनांक– 4.9.2012 द्वारा श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी बनाया गया । श्री सिंह के स्वास्थ्य विभाग में स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सह पठित ज्ञापांक– 501 दिनांक– 22.2.2013 द्वारा श्री विश्वम्भर राम, तत्कालीन विशेष सचिव को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन में आरोप संख्या– 1 एवं 2 आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया । प्राप्त जॉच प्रतिवेदन पर समीक्षोपरान्त पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी के द्वारा सिर्फ अपने लिखित बयान में आरोपों को अस्वीकार किया गया परन्तु साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा कोई ठोस प्रमाण या कागजात नहीं उपलब्ध कराया गया । ऐसी परिस्थिति में सभी आरोप पूर्णतः प्रमाणित होते है । इन प्रमाणित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्र संख्या– 3928 दिनांक– 17.10.2013 के द्वारा श्री मानकर से द्वितीय कारण–पृच्छा की मॉग की गई । निर्धारित अवधि तक द्वितीय कारण–पृच्छा प्राप्त नहीं होने पर समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से उन्हें द्वितीय कारण–पृच्छा दायर करने का निदेश दिया गया । आरोपित पदाधिकारी के द्वारा अपने द्वितीय कारण–पृच्छा में सभी आरोपों को अस्वीकार करते हुए दोषमुक्त करने का अनुरोध किया गया । आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा समीक्षा के क्रम में असंतोषजनक पाया गया ।

कृ0पृ0उ0

पूर्वोक्त आरोप के अतिरिक्त श्री मानकर के विरूद्ध एक और आरोप प्राप्त हुआ ।

श्री मानकर के विरूद्ध संचालित दूसरे विभागीय कार्यवाही में आरोप निम्न है :–

(1) जुलाई, 99 की परीक्षा के परीक्षाफल में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भागलपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुंगेर के विभिन्न व्यवसाय के प्रशिक्षणार्थियों के परीक्षाफल में लीपा–पोती करना तथा अनेक प्रशिक्षणार्थियों का परीक्षाफल बिना किसी समुचित कारण के पेंडिंग– फॉर –इनफोरमेशन वांटिंग के नाम पर पेडिंग रखना, साथ ही 70 वीं एवं 71 वीं शिक्षु परीक्षा में सम्मिलित अनेक प्रशिक्षणार्थियों का परीक्षाफल बिना किसी स्पष्ट कारण के लम्बित रखा गया ।

(2) वर्ष 1997 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गया, वर्ष 1998 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मढ़ौरा तथा वर्ष 1996– 97 और 1998 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, वीरपुर के नामांकन में बड़े पैमाने पर अनियमितता बरतने एवं उक्त नामांकन अभिलेखों को गायब कर देना ।

(3) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट, पटना के प्राचार्य के पद पर पदस्थापन काल में जवाहर रोजगार योजना में जाली नामों से बहुत से जाली छात्रों को प्रशिक्षण में दिखाकर इस योजना के पैसे का घपला करना ।

(4) बहुत कम समय के सेवाकाल में ही नाजायज तरीके से धनोपार्जन कर 302, मोनिका अपार्टमेंट, बेली रोड, पटना में फ्लैट खरीदना तथा बिना सरकार की अनुमति प्राप्त किये मारूति कार संख्या– बी0आर0 1 एम– 3324 अपना नाम बदल कर खरीदना ।

विभागीय अधिसूचना संख्या– 627 दिनांक– 30.09.2000 द्वारा आरोपों के सन्दर्भ में उन्हें निलंबित किया गया एवं विभागीय अधिसूचना संख्या– 661 दिनांक– 21.10.2000 के द्वारा उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया । आरोपित पदाधिकारी श्री मानकर के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या– 110 दिनांक– 17.01.2002 के द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

श्री मानकर का झारखण्ड सरकार के क्षेत्राधिकार में पदस्थापित होने के कारण झारखण्ड सरकार के द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही को अंगीकृत किया गया तथा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया लेकिन उस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका ।

श्री मानकर की सेवा कैडर विभाजन में बिहार सरकार में स्थापित हुई । फलस्वरूप उक्त अनिर्णित विभागीय कार्यवाही को झारखण्ड सरकार द्वारा बिहार सरकार को स्थानान्तरित कर दिया गया । तत्पश्चात् श्रम संसाधन विभाग के संकल्प संख्या– 2385 दिनांक– 28.08.2009 के द्वारा आरोपित पदाधिकारी श्री मानकर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई । जिसमें श्री गरीब साहु, तत्कालीन अपर सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । श्री साहु की सेवा निवृति के पश्चात् इनके स्थान पर श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव को विभागीय संकल्प संख्या– 2561 दिनांक– 3.9.2012 के द्वारा संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । तत्पश्चात श्री सिंह के स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप विभागीय संकल्प संख्या– 492 दिनांक– 22.02.2013 के द्वारा श्री विश्वम्भर राम, तत्कालीन विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया ।

कृ0पृ0उ0